## अंतरिम कार्यवाही दिनांक 05.05.2018

डिकीदार पक्ष की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई बावत आवेदन पत्र पर से बाद विचार दर्शित आधार पर प्रकरण न्यायहित में आज सुनवाई में लिया गया।

डिकीदार पक्ष की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

मदयुन अनिर्वाहित।

डिकीदार पक्ष की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय के बाहर पक्षकारों के मध्य स्वेच्छयापूर्वक इस इजरा प्रकरण के संबंध में विवाद निपट गया है और कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः स्वेच्छ्यापूर्वक इस इजरा प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। परिणामतः उक्त समस्त के आलोक में डिकीदार पक्ष के स्वेच्छिक निवेदन अनुसार यह इजरा प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व से नियत तिथि निरस्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो। STINE ST

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड